



सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड



पूर्व सैनिकों / विधवाओं एवं आश्रितों
के कल्याणार्थ संचालित योजनायें ।

विक्टोरिया कास, परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र धारक



नायक दरवान सिंह, विक्टोरिया कास



आनरेरी कप्तान गजे सिंह घाले,
विक्टोरिया कास



रा0मै0 गबर सिंह, विक्टोरिया कास
(मरणोपरान्त)



ले कर्नल डी एस थापा, परमवीर चक्र



नायक भवानी दत्त जोशी, अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)



कप्तान उमेद सिंह, अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)



हवलदार गजेन्द्र सिंह बिष्ट अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)



हवलदार बहादुर सिंह बोहरा, अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)



नायक मोहन गोस्वामी, अशोक चक्र
(मरणोपरान्त)

**उत्तराखण्ड में सैन्य सेवा एक
गौरवमयी परम्परा है, न कि मात्र
जीवन निर्वाह का साधन ।**

विवरणिका

1. पंजीकृत पूर्व सैनिक एवं विधवायें :-
(सितम्बर 2023 तक पंजीकृत)

| | | |
|-----|---|-----------------|
| (क) | पूर्व सैनिक | 1,39,157 |
| (ख) | विधवायें (1,207 जीवित युद्ध विधवाओं सहित) | 48,924 |
| | कुल योग | 1,88,081 |

2. पंजीकृत पूर्व सैनिक एवं विधवाओं का जिलेवार विवरण

| क्र० स० | जिला | पूर्व सैनिक | | | | विधवायें | | | | कुल योग |
|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | सेना | वायु सेना | नौ सेना | कुल योग | सेना | वायु सेना | नौ सेना | कुल योग | |
| 1 | अल्मोड़ा | 9205 | 264 | 140 | 9609 | 4725 | 35 | 50 | 4810 | 14419 |
| 2 | बागेश्वर | 7703 | 77 | 52 | 7832 | 3703 | 19 | 18 | 3740 | 11572 |
| 3 | चमोली | 10981 | 73 | 33 | 11087 | 4802 | 10 | 09 | 4821 | 15908 |
| 4 | चम्पावत | 3630 | 32 | 26 | 3688 | 1342 | 06 | 07 | 1355 | 5043 |
| 5 | देहरादून | 25976 | 1625 | 1640 | 29241 | 5172 | 99 | 129 | 5400 | 34641 |
| 6 | हरिद्वार | 4823 | 159 | 423 | 5405 | 988 | 12 | 30 | 1030 | 6435 |
| 7 | लैन्सडौन | 14488 | 376 | 206 | 15070 | 5502 | 43 | 35 | 5580 | 20650 |
| 8 | पौड़ी | 6794 | 91 | 74 | 6959 | 3004 | 19 | 22 | 3045 | 10004 |
| 9 | नैनीताल | 12712 | 364 | 392 | 13468 | 3630 | 105 | 86 | 3821 | 17289 |
| 10 | पिथौरागढ़ | 17822 | 211 | 103 | 18136 | 8432 | 30 | 22 | 8534 | 26670 |
| 11 | रुद्रप्रयाग | 3582 | 20 | 16 | 3618 | 1722 | 02 | 02 | 1726 | 5344 |
| 12 | टिहरी | 5041 | 45 | 47 | 5133 | 2072 | 05 | 06 | 2083 | 7216 |
| 13 | उधमसिंह नगर | 8515 | 124 | 121 | 8760 | 2669 | 12 | 20 | 2701 | 11461 |
| 14 | उत्तरकाशी | 1130 | 06 | 15 | 1151 | 274 | 00 | 04 | 278 | 1429 |
| कुल योग | | 132402 | 3467 | 3288 | 139157 | 48087 | 397 | 440 | 48924 | 188081 |

3. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक (पेंशन न पाने वाले) एवं उनकी विधवायें :-

| | | |
|-----|----------------|------------|
| (क) | पूर्व सैनिक | 05 |
| (ख) | विधवायें | 541 |
| | कुल योग | 546 |

6. वीरता एवं गैर वीरता पदक विजेता

| क्रसं | पदक | संख्या |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|
| स्वतन्त्रता पूर्व | | |
| 1. | विक्टोरिया क्रॉस | 03 |
| 2. | मिलिट्री क्रॉस | 25 |
| 3. | इण्डियन ऑर्डर ऑफ मैरिट | 53 |
| 4. | इण्डियन डिस्टिंग्विस्ड सर्विस मेडल | 89 |
| 5. | मिलिट्री मेडल | 44 |
| 6. | मैन्शन-इन-डिस्पैच | 150 |
| कुल योग | | 364 |
| स्वतन्त्रता पश्चात | | |
| 7. | परमवीर चक्र | 01 |
| 8. | अशोक चक्र | 06 |
| 9. | महावीर चक्र | 13 |
| 10. | कीर्ति चक्र | 32 |
| 11. | उत्तम युद्ध सेवा मेडल* | 04 |
| 12. | वीर चक्र | 102 |
| 13. | शौर्य चक्र | 188 |
| 14. | युद्ध सेवा मेडल* | 36 |
| 15. | सेना / नौसैना / वायु मैडल(वीरता) | 865 |
| 16. | मैन्शन-इन-डिस्पैच | 209 |
| 17. | सेना मेडल* | 74 |
| 18. | परम विशिष्ट सेवा मेडल* | 45 |
| 19. | अति विशिष्ट सेवा मेडल* | 60 |
| 20. | विशिष्ट सेवा मेडल* | 140 |
| कुल योग | | 1775 |

* गैर वीरता

राज्य सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. वीरता पुरुस्कार | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गयी है। उत्तराखण्ड राज्य अब देश में सबसे अधिक अनुदान राशि देने वाले राज्यों में एक बन गया है। वीरता पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि का विवरण निम्नवत है :-

| क्र० सं० | वीरता पदक | एकमुश्त | वार्षिकी |
|----------|---------------------------|-----------|----------|
| (क) | परमवीर चक्र | 50,00,000 | 3,00,000 |
| (ख) | अशोक चक्र | 50,00,000 | 2,50,000 |
| (ग) | महावीर चक्र | 35,00,000 | 2,25,000 |
| (घ) | कीर्ति चक्र | 35,00,000 | 2,00,000 |
| (च) | वीर चक्र | 25,00,000 | 1,50,000 |
| (छ) | शौर्य चक्र | 25,00,000 | 1,00,000 |
| (ज) | सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल | 7,00,000 | 60,000 |
| (झ) | उत्तम युद्ध सेवा मेडल | 5,00,000 | 50,000 |
| (ट) | युद्ध सेवा मेडल | 4,00,000 | 40,000 |
| (ठ) | सेना मैडल (गैलेंट्री) | 15,00,000 | 50,000 |
| (ड) | मैशन-इन-डिस्पैच | 10,00,000 | 25,000 |

2. गैर वीरता पदक पुरस्कार गैर वीरता पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है जो निम्नवत है :-

| क्र० सं० | वीरता पदक | एकमुश्त |
|----------|-----------------------|----------|
| (क) | परम विशिष्ट सेवा मेडल | 2,00,000 |
| (ख) | अति विशिष्ट सेवा मेडल | 1,50,000 |
| (ग) | सेना मेडल(गैर वीरता) | 1,00,000 |
| (घ) | विशिष्ट सेवा मेडल | 75,000 |

3. राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा। चक्र श्रृंखला के पदक धारकों पूर्व सैनिक तथा सैनिक विधवाओं को राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा का प्रावधान।

4. द्वितीय विश्व युद्ध के नान-पेंशनर सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं की पेंशन में वृद्धि. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जिन्हे किसी भी श्रोत से पेंशन नही मिल रही है। दिनांक 07 सितम्बर 2021 से पेंशन की राशि को ₹ 8,000 /— से बढ़ाकर ₹10,000 /— प्रतिमाह किया गया है।

5. उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान. विभिन्न युद्धों व सिमान्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त ₹ 10,00,000 /— अनुदान अनुमन्य है।

6 आवासीय सहायता युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और युद्ध अपंगता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता अनुदान ₹ 2,00,000 /— दिया जा रहा है ।

7. गृह कर में छूट । उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न नगर निगमों/नगर पालिकाओं की सीमाओं में, स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं, सेवानिवृत्त हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं को गृहकर से मुक्त करने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है ।

8. स्टाम्प ड्यूटी में छूट। सेवारत/पूर्व सैनिकों को ₹ 25 लाख तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य कर दी गयी है।

9. इंजिनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री कारगिल शहीद परिवार सहायता कोष से इंजीनियरिंग हेतु ₹ 12,000 /— मेडिकल शिक्षा हेतु ₹ 12,000 /— तथा पीएचडी शिक्षा हेतु ₹ 10,000 /— प्रतिवर्ष दी जा रही है।

10. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत छात्र/छात्रायें हेतु पुरुस्कार। आई.आई.टी.,आईएमए, एनआईटी, एनडीए, मेडिकल तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अन्य व्यवसायिक एवं तकनीकी संस्थानों के छात्र/छात्रायें जो प्रदेश के स्थाई निवासी हैं, प्रत्येक को राज्य सरकार द्वारा ₹50,000 /—का पुरुस्कार दिया जा रहा है।

11. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता। प्रदेश के मेधावी छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण 100 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षाओं/एस.एस.बी आदि द्वितीय चरण की परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग आदि के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 50,000/- की धनराशि ।

12. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण.

| | |
|---|--------------------------|
| जी० बी० पंत विश्व विद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में Bsc Ag, Bsc Vet. B.sc Home Science, B. Tech | 04 सीट । |
| राजकीय आई०टी०आई० | 08 प्रतिशत । |
| राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज | 02 प्रतिशत । |
| राजकीय पालिटेक्निक | 03 प्रतिशत । |
| एम०बी०ए० | 02 प्रतिशत । |
| एम०सी०ए० | 02 प्रतिशत । |
| बी०एड०(प्रवेश परीक्षा में) | 15 कृपांक अंक अतिरिक्त । |
| एल०एल०बी०(प्रवेश परीक्षा में) | 05 कृपांक अंक अतिरिक्त |
| बी०टी०सी० | 3 प्रतिशत । |

रोजगार

13. शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन समूह 'ग' अथवा 'घ' की सेवाओं में नियुक्ति। उत्तराखण्ड सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक आश्रित को जिलाधिकारी कार्यालय में समूह 'ग' अथवा 'घ' में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा रही है।

14. राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' में आरक्षण । पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' की रिक्तियों में 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है।

15. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को रोजगार। उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को योग्यतानुसार विभिन्न संस्थानों में सेवानियोजित किया जाता है।

प्रशिक्षण

16. कम्प्यूटर प्रशिक्षण. पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

17. भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। जनपद देहरादून में गढ़वाल तथा कुमाऊँ मण्डल के पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बलों में भर्ती हेतु 8 हफ्ते का भर्ती पूर्व प्रशिक्षण वर्ष में पाँच बार चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान पूर्व सैनिकों के आश्रितों को रहने यूनीफार्म तथा भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है।

शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण।

18. देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य एवं आधुनिक सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें शहीदों के घर—आंगन की मिट्टी का प्रयोग किया जायेगा। शौर्य स्थल का शिलान्यास दिनांक 15 दिसम्बर 2021 को मा. रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया।

सैनिक विश्राम गृह

19. वर्तमान में 36 सैनिक विश्राम गृह राज्य में संचालित है, राज्य सरकार द्वारा सैनिक विश्राम गृहों को आधुनिक तथा उच्चकृत करने की कार्यवाही गतीमान है।

**उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्मड फोर्सज
सहायता संस्थान द्वारा देय सुविधायें**

1. आर्थिक सहायता ।

(अ) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को अनुग्रह अनुदान (अधिकारी के लिए ₹ 1.60 लाख एवं जे0सी0ओ0/अन्य रैंक के लिए ₹ 1.00 लाख)।

(ब) सेवामुक्त अपंग हुये सैनिकों को अनुग्रह अनुदान (अधिकारी ₹ 75 हजार, जे0सी0ओ0 एवं अन्य रैंक ₹ 55 हजार)।

(स) युद्ध विधवा/स्थायी रूप से युद्ध अपंग सेवामुक्त सैनिक की पुत्री के विवाह हेतु ₹ 30,000/- की आर्थिक सहायता। (केवल हवलदार रैंक तक के लिए अनुमन्य है)।

(द) जीवन निर्वाह भत्ता एक मुश्त ₹11,000/- केवल हवलदार पद तक अनुमन्य है।

(य) विशेष चिकित्सा (कैंसर, हृदय, मस्तिष्क रोग एवं प्लास्टिक सर्जरी) हेतु सरकारी अस्पताल/सेना अस्पताल/एस0जी0पी0आई0/एम्स/ आर्मी/कमांड अस्पताल में कराये गये उपचार पर हुए व्यय की 75 प्रतिशत तक राशि की प्रतिपूर्ति।

2. वार्षिक शिक्षा अनुदान। उत्तराखण्ड आर्मड फोर्सज सहायता संस्थान द्वारा युद्ध विधवा/स्थायी रूप से युद्ध अपंग सेवामुक्त सैनिकों के आश्रितों को निम्न शिक्षा अनुदान अनुमन्य है :-

(अ) कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक ₹1000/-से ₹1800/-तक।

(ब) शोध कार्य हेतु ₹ 12000/-।

(स) उच्च शिक्षा के कोचिंग हेतु ₹ 2500/- ।

(द) आई0टी0आई0 हेतु ₹ 1800/-।

(य) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स हेतु ₹ 2200/-।

(र) डिग्री पाठ्यक्रम हेतु ₹ 3200/-।

(ल) एम.बी.बी.एस.,बी.टेक, एम टेक आदि कोर्स हेतु ₹ 5200/-।

(व) एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के कम्प्यूटर कोर्स हेतु ₹12000/-।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता तथा सुविधायें

1. आर्थिक सहायता

| क्र.स. | मद | धनराशि | टिप्पणी |
|--------|---|--------------------------|--|
| (क) | सभी वर्ग के नान-पेंशनर्स पूर्व सैनिकों हेतु पैन्थूरी ग्रांट (65 वर्ष की आयु से अधिक) | ₹ 4000 / - प्रतिमाह | नॉन-पेंशनर एवं केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य |
| (ख) | मेडिकल ग्रांट (नान-ई0सी0एच0एस0 मेम्बर हेतु) | ₹ 50000 / - अधिकतम | केवल हवलदार रैंक तक |
| (ग) | <u>मकान मरम्मत हेतु अनुदान</u> दैवीय आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान। | ₹ 20000 / - | केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों तथा सभी रैंकों की निराश्रित पुत्रीयों के लिये अनुमन्य |
| (घ) | विधवाओं को पूर्व सैनिक के दाह संस्कार हेतु अनुदान। | ₹ 5000 / - | केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य |
| (च) | <u>विवाह हेतु अनुदान :-</u> पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु अनुदान। | ₹ 50,000 / - | सैनिकों के लिये अनुमन्य |
| (छ) | <u>गृह निर्माण हेतु।</u> गृह निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर अनुदान। | अधिकतम ₹ 1,00,000 / - | युद्ध विकलांग, शान्ति काल में शहीद को अनुमन्य। |

| क.स. | मद | धनराशि (रूपये में) | टिप्पणी |
|------|---|--|---|
| (ज) | शिक्षा अनुदान (अ) स्नातक कक्षा तक पुत्र एवं पुत्रियों हेतु। | ₹ 1000 /— प्रतिमाह | केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य |
| | (ब) विधवाओं हेतु स्नातकोत्तर कक्षा तक | ₹ 1000 /— प्रतिमाह | |
| | (स) विधवा हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण की प्रतिपूर्ति (केवल एक बार अनुमन्य) | ₹ 50,000 /— (अधिकतम) | |
| | (द) एन0डी0ए0 में प्रशिक्षण के दौरान देय भत्ता | ₹ 1000 /— प्रतिमाह | |
| (झ) | निराश्रित अनुदान (वार्षिकी):- (अ) सभी वर्गों के पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों हेतु अनुदान (विवाह होने तक या 21 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो)। | ₹1000 /— प्रतिमाह | सभी रैंक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य। |
| | (ब) पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत विकलांग बच्चों हेतु अनुदान। | ₹3000 /— प्रतिमाह | |
| (ट) | प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना। इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेटरिनरी, एम.बी.ए., एम.सी.ए. फार्मा, नर्सिंग, बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., यू.जी./पी.जी. फिजीयोथेरेपी व लॉ इत्यादि हेतु। | ₹ 2500 /— प्रतिमाह (लड़कों हेतु)। ₹ 3000 /— प्रतिमाह (लड़कियों हेतु)। | अभ्यर्थी का 12वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। |

| क.स. | मद | धनराशि (रूपये में) | टिप्पणी |
|------|---|---|--------------------------|
| (ठ) | <u>विशेष चिकित्सा सहायता।</u> नॉन-पेंशनर अधिकारी एवं अन्य वर्ग हेतु (हृदय, रोज, ज्वाइन्ट रिप्लेसमेन्ट) हेतु एकमुश्त अनुदान। | अधिकारी वर्ग हेतु 75 तथा अन्य रैंक हेतु 90 प्रतिशत। अधिकतम एकमुश्त ₹1,50,000 /— | समस्त रैंक हेतु अनुमन्य। |
| (ड) | <u>मोबिलिटी इक्विमेन्ट सहायता।</u> सेवा मुक्ति के बाद पचास प्रतिशत से अधिक (लोवर लिम्ब) की अपंगता के कारण चलने फिरने में असमर्थ पूर्व सैनिक को मोडिफाईट स्कूटर क्रय करने हेतु अनुदान | अधिकतम ₹1,00,000 /— | समस्त रैंक हेतु अनुमन्य। |

अन्य सुविधायें

2. रेल यात्रा में छूट।

(क) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से अंलकृत सैनिकों व विधवाओं को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित यान में मुफ्त रेल यात्रा। अब यह राजधानी व शताब्दी गाडियों में भी मान्य।

(ख) कारगिल व आई0पी0के0एफ0 के शहीद सैनिकों की विधवाओं को स्लीपर क्लास यान से यात्रा में 75 प्रतिशत छूट।

3. वायु यात्रा में छूट।

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, जार्ज क्रॉस, डिस्टिंग्विस्ड सर्विस क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, डिस्टिंग्विस्ड फ्लाइंग क्रॉस व जार्ज मेडल से अलंकृत सैनिकों व विधवाओं को 75 प्रतिशत की छूट।

(ख) युद्ध अपंग सेवामुक्त अधिकारी व आश्रित सदस्य को 50 प्रतिशत की छूट।

(ग) स्वतंत्रता पूर्व की युद्ध विधवाओं को 50 प्रतिशत की छूट।

4. टेलीफोन सुविधा। पंजीकरण व स्थापना शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट। निम्नलिखित वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों / विधवाओं को साधारण किराये में पूरी छूट :-

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र।

(ख) युद्ध विधवायें।

(ग) युद्ध अपंग सैनिक।

5. आ.आई.टी. में प्रवेश। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उपरान्त मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, बी.एच.यू., आई.टी. संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में दो सीटें प्राथमिकता पर प्रवेश।

6. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. में प्रवेश। वर्तमान में 30 सीटें एम.बी.बी.एस. व 1-3 (स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवंटित सीटों के आधार पर) बी.डी.एस. में आश्रितों के लिये निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित हैं:-

(क) युद्ध में शहीद।

(ख) युद्ध अपंग एवं अपंगता के कारण सेवामुक्त।

(ग) सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारण मृत्यु होने वाले सैनिक के आश्रित।

(घ) सेवाकाल के दौरान अपंगता के कारण सेवामुक्त सैनिक के आश्रित।

(ङ) वीरता पदक प्राप्त सैनिक के आश्रित।

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता / अनुदान

1. सामान्य छात्रवृत्ति।

| क्र०सं० | शिक्षा | अंक प्रतिशत | प्रतिवर्ष धनराशि |
|---------|---|-------------------------|------------------|
| (क) | सामान्य शिक्षा | | |
| | कक्षा 11 व 12 हेतु | पहाड़ी क्षेत्र | ₹ 3,000 /— |
| | स्नातक कक्षाओं हेतु | हेतु 50 | ₹ 4,000 /— |
| | स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु | तथा मैदानी | ₹ 5,000 /— |
| | पी.एच.डी., एम०फिल० हेतु। | क्षेत्र हेतु 60 प्रतिशत | ₹ 10,000 /— |
| (ख) | तकनीकी / व्यवसायिक शिक्षा सर्टिफिकेट कोर्स फिटर, वैल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन / इलैक्ट्रॉनिक, वायरमैन, मैकेनिक, कटाई एवं सिलाई, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्डर, हैन्डीक्राफ्ट एवं आफिस ऑटोमेशन, स्टेनोग्राफी, हिन्दी ट्रान्सलेटर, डी.ई.ओ. एवं सैक्रेट्रियल कोर्सेज। | 60 | ₹ 4,000 /— |
| (ग) | डिप्लोमा कोर्सेज माडर्न आफिस मैनेजमेंट, इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं कम्प्यूनीकेशन, पॉलीटेक्निक कोर्सेज, सैक्रेट्रियल कोर्सेज | 65 | ₹ 5,000 /— |

| | | | |
|-----|--|----|-------------|
| (घ) | डिग्री कोर्सेज बीएड / बीपीएड / एमएड / एमपीएड बी.एस. सी. / एम.एस.सी. (कृषि / हार्टीकल्चर / होम साइन्स), फौरेस्ट्री, होस्पिटेलिटी इन्डस्ट्री, फारमेसी, नर्सिंग कोर्सेज, वैटनरी, बी. फार्मा / डी. फार्मा / एम. फार्मा, जर्नलिज्म, सी.ए., एल.एल.बी. / एल.एल.एम. , बायोटेक्नोलोजी, फिजियोथैरेपी, फैशन डिजाइन टेक्नोलोजी, बी. एच.एम.(सी.टी.) / टूरिज्म / ट्रेवल, बी.बी.ए. / एम.बी.ए., बी.सी.ए. / एम. सी.ए., पी.जी.डी.एम.। | 70 | ₹ 8,000 /— |
| (ङ) | इंजीनियरिंग कोर्स हेतु। | 70 | ₹ 12,000 /— |
| (च) | मेडीकल कोर्स हेतु। | 70 | ₹ 15,000 /— |

2. पूर्व सैनिकों के अनाथ तथा सैनिक विधवाओं के पात्रों हेतु छात्रवृत्ति। पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्र/पुत्रियों तथा पूर्व सैनिक विधवाओं के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निम्नलिखित छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य संस्थानों से इस हेतु आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो:—

| | | |
|---------------------------|----|-------------|
| कक्षा 1 से कक्षा 8 तक | 33 | ₹ 6,000 /— |
| कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक | 33 | ₹ 10,000 /— |

3. मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति। पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के मेधावी आश्रित जो केवल सामान्य शिक्षा में अव्वल हो को निम्नवत छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जिससे इन छात्रों/छात्राओं का मनोबल बढे और अन्य छात्र/छात्राओं को भी प्रोत्साहन मिले :-

| कक्षा | धनराशि |
|--|-------------|
| कक्षा 10 में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कक्षा 11 व 12 के लिए (कक्षा 11 में भी 80 प्रतिशत अनिवार्य) | ₹ 12,000 /- |
| कक्षा 12 में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातक कक्षाओं के लिए (स्नातक प्रथम व द्वितीय में भी 80 प्रतिशत अनिवार्य) | ₹ 15,000 /- |
| स्नातक में कुल 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु (स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में भी 70 प्रतिशत अनिवार्य) | ₹ 18,000 /- |

4. सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल/आरआईएमसी में अध्ययन/शिक्षण प्राप्त कर रहे पात्रों को प्रोत्साहन अनुदान। सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल एवं आरआईएमसी में अध्ययन/शिक्षण प्राप्त कर रहे पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के पात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने पर कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त ₹ 20,000 /- का प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5 एनडीए, आईएमए, ओटीए, एयर फोर्स अकादमी, नेवल अकादमी, सिविल सेवा, पीसीएस, एमबीबीएस, आईएचएम,, आईआईटी, आईआईएम में चयन होने पर कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान। एनडीए, आईएमए, ओटीए, एयर फोर्स अकादमी, नेवल अकादमी, सिविल सेवा, पीसीएस, एमबीबीएस, आईएचएम, आईआईटी, आईआईएम में चयन/संस्थान में प्रवेश करने पर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त ₹ 20,000 /- अथवा व्यय की गयी धनराशी जो भी कम हो का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

6. युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान। राज्य के युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से रोजगारपरक तथा कौशल विकास परक कोर्स करने हेतु कुल व्यय अथवा ₹ 20,000/- जो भी कम हो का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

7. पूर्व सैनिक आश्रितों के खेलों में चयन होने पर प्रोत्साहन अनुदान। राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित किये जाने हेतु प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में चयन होने पर निम्नवत् प्रोत्साहन राशि अनुमन्यः—

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| (अ) प्रदेश स्तर पर | - ₹ एक लाख |
| (ब) राष्ट्रीय स्तर पर | - ₹ दो लाख |
| (स) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर | - ₹ चार लाख |

8. सेना, अर्द्धसैनिक बल, सीपीओज तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर अनुदान। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सेना, सीपीओज, अर्द्धसैनिक बल तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर एकमुश्त ₹ 20,000/- का अनुदान अनुमन्य है।

9. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति। सेना द्वारा पूर्व सैनिकों हेतु "पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना" चलाये जाने के उपरान्त यह योजना केवल पेंशन अनुमन्य नहीं होने वाले पूर्व सैनिक/सैनिक विधवाओं पर निम्नवत् लागू है :-

- | | |
|-----------------------|--|
| (अ) सामान्य चिकित्सा। | - ₹ 10,000/- |
| (ब) विशेष चिकित्सा। | - कुल व्यय का अधिकतम 75 प्रतिशत या ₹ 1,00,000/- जो भी कम हो आर्थिक सहायता दी जायेगी। |

10. पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण में अनुदान। पूर्व सैनिक/अधिकारी द्वारा अपने पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण पर निम्न अनुदान देय है :-

(अ) ₹ 5,00,000/- तक के ऋण का 10 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

(ब) ₹ 5,00,000/- से ऊपर तथा ₹ 10,00,000/- लाख तक के ऋण पर पांच प्रतिशत अनुदान।

11. पूर्व सैनिक की विधवाओं की पुत्रियों एवं पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता। पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों/पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों (दो पुत्रियों तक) की शादी हेतु ₹ 1,00,000/- की धनराशि का एकमुश्त अनुदान अनुमन्य है।

12. पूर्व सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु अनुदान। पूर्व सैनिक की विधवाओं के पुनर्विवाह करने पर ₹ 1,00,000/- की धनराशि पुनर्वास संस्था द्वारा आर्थिक सहायता के अन्तर्गत एकमुश्त प्रदान की जायेगी। यह धनराशि विधवा के नाम पर पांच वर्ष हेतु एफ0 डी0 के रूप में प्रदान की जाती है।

13. पूर्व सैनिकों को व्हील चेयर की सहायता। अपंग पूर्व सैनिकों को उनके आवेदन के आधार पर व्हील चेयर संस्था कार्यालय द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

14. पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई/बुनाई मशीन की सहायता। पूर्व सैनिक की विधवाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन क़य करने के लिए ₹ 3,000/- एवं बुनाई मशीन क़य करने के लिए ₹ 3,500/- का अनुदान अनुमन्य है।

15. दैवीय आपदा अनुदान । पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को दैवी आपदा जैसे "भूकंप, भूस्खलन, अग्नि कांड, बाढ़ से निजी आवासीय घर जिसमें वह स्वयं वास करते हों, के 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर, आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु एकमुश्त ₹ 50,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है, बशर्ते उन्हें किसी अन्य श्रोतों से उक्त आपदा हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो।

16 प्री-कम-पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग हेतु छात्रवृत्ति । इस योजना के अन्तर्गत सेना में कार्यरत सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु सेना से सेवानिवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष/छह माह पूर्व ही आई.टी.आई. में प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर प्रशिक्षण के समय उनकी सेवानिवृत्त की तिथि तक प्रशिक्षण शुल्क डी0जी0आर, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भुगतान किया जाता है । अगर यह प्रशिक्षण उनके सेनानिवृत्त होने के पश्चात भी जारी रहता है तो ऐसे पूर्व सैनिकों को संस्था द्वारा ₹ 500/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दी जायेगी ।

17 अन्य सहायता । सैनिक पुनर्वास संस्था, उत्तराखण्ड द्वारा जो भी प्रदेश निवासी अपंग पूर्व सैनिक या उनकी पत्नियों, भारत सरकार के संरक्षण में पुनर्वास हेतु चलाये जाने वाली संस्थाओं में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ या पूर्ण रूप से वही वास कर रहे हो को, भरण पोषण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रतिवर्ष निम्नवत अनुदान प्रदान किया जाता है:—

(अ) पैराप्लेजिक रिहैविलिटेशन — ₹ 1,00,000/-प्रति पात्र केन्द्र, मोहालीं

(ब) पैराप्लेजिक रिहैविलिटेशन — ₹ 1,00,000/-प्रति पात्र केन्द्र, किरकी

18. जिला सैनिक कल्याण परिषद बैठक हेतु धनराशि । पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठकों के आयोजन हेतु ₹ 5,000 प्रति बैठक की धनराशि अनुमन्य है ।



निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
15 सी कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला
देहरादून— 248001

फैक्स: 0135-2743773, फोन: 0135-2741481

बैबसाईट : www.sainikkalyan.org,

ईमेल: dskddn@gmail.com